AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

उपफर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला-जोधपुर

…त उपखण्ड अधिकारी …अहकाम बावड़ी, जिला - जोधपुर

आत्माराम वगैरह बनाम सरकार

…धारा 131, 136 नं. 33/2022 सन्

…ख …म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…22	[illegible] … पत्रावली दिनांक 12/4/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला-जोधपुर	आत्माराम (हस्ताक्षर) पक्षकार (हस्ताक्षर) 12/03/2022
…/4/2022	पत्रावली पेश … [illegible] … कार्य … है। पत्रावली … दिनांक 19/4/2022 को पेश हो। (M)	
…/4/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली का आनुपूर्वक अवलोकन किया। तथा तहसीलदार बावड़ी की मौका जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। ~~तहसील~~ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला-जोधपुर	

न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना संख्याः– 33/2022

प्रार्थीगणः–

1. आत्माराम पुत्र रणजीतराम
2. रामप्रताप पुत्र रणजीतराम

जातियान् राईका, निवासी नेतड़ा तहसील बावड़ी जिला–जोधपुर।

अप्रार्थीः–

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, बावड़ी।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131, 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थितः–

1. श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थीगण अधिवक्ता ।
2. अप्रार्थी श्री भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी।

निर्णय :–

दिनांकः–19.04.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम नेतड़ा , तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा नेतड़ा के खसरा संख्या क्रमशः 258/1, 258/2 की भूमि आयी हुई है। जिसकी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होकर गलत दर्ज है। जिसको दुरस्त किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बावड़ी ने प्रार्थीणों की तरमीम वर्तमान नक्शे में गलत होना स्वीकार किया। तथा फर्द नजरीया नक्शा प्रस्तुत कर नजरीये नक्शे तरमीम दुरस्त की अनुशंषा की गयी । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट एवं फर्द नजरीये नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शे फर्द को इस निर्णय का अंग शुमार समझा जावे। निर्णय आज न्यायालय में मजमे–आम सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
बावड़ी जिला–जोधपुर